प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3474/2023

1 – प्रेम लाल साहू पिता राम सिंह साहू उम्र लगभग 39 वर्ष, निवासी गांधी चौक वार्ड 16 सकरा, जिला: धमतरी, छत्तीसगढ़।

––– याचिकाकर्ता

बनाम

1 – छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा सचिव, शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़।

2 – संचालक संचालनालय, शिक्षा विभाग, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़।

3 – जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़।

4 – जिला शिक्षा अधिकारी कांकेर, जिला: कांकेर, छत्तीसगढ़।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

––– उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3656/2023

1 – योगेश कुमार पिता इंदल सिंह उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी पंचपेड़ी, पारसबोड, बघेरा, जिलाःराजनंदगांव, छत्तीसगढ़।

––– याचिकाकर्ता

बनाम

1 –छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा सचिव, शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़।

2 – संचालक संचालनालय, शिक्षा विभाग, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़।

3 – जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़।

4 – जिला शिक्षा अधिकारी नारायणपुर, जिलाःनारायणपुर, छत्तीसगढ़

––– उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3733/2023

1 – बोधन राम पिता नंद लाल उम्र लगभग 37 वर्ष, निवासी– 22, लालपुर, खैरागढ़, जिलाःखैरागढ़–छुईखादन–गंडई, छत्तीसगढ़।

––– याचिकाकर्ता

बनाम

1 –छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा सचिव, शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़।

2 – संचालक संचालनालय, शिक्षा विभाग, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़।

3 – जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़।

4 – जिला शिक्षा अधिकारी नारायणपुर, जिलाःनारायणपुर, छत्तीसगढ़

––– उत्तरवादीगण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3914/2023

1 – खगेश कुमार पटेल पिता फिरात राम पटेल उम्र लगभग 26 वर्ष,निवासी वार्ड क्र. 08, गुड़ी चौक, तारशिव, बलौदा–बाजार, जिलाःबलौदाबाजार–भाटपारा, छत्तीसगढ़।

––– याचिकाकर्ता

बनाम

1 –छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा सचिव, शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़।

2 – संचालक संचालनालय, शिक्षा विभाग, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़।

3 – जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़।

––– उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3484/2023

1 – धनेश्वरी साहू पति श्री भोलेसंकर साहू उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी वार्ड क्र. 08, बलार रोड बसडोल, जिला बलौदा–बाजार छत्तीसगढ़।

--- याचिकाकर्ता

बनाम

1 –छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा सचिव, शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़।

2 – संचालक संचालनालय, शिक्षा विभाग, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़।

3 – जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़।

4 – जिला शिक्षा अधिकारी बेमेतरा, जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़।

--- उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 8092/2023

1 – मनोज कुमार जायसवाल पिता श्री घनश्याम प्रसाद जायसवाल, आयु लगभग 38 वर्ष, जायसवाल दर्जी, वार्ड क्र. 12, शक्ति, जिलाःशक्ति, छत्तीसगढ़।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

--- याचिकाकर्ता

बनाम

1 –छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा सचिव, शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़।

2 – संचालक संचालनालय, शिक्षा विभाग, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़।

--- उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3482/2023

1 – डिगेश्वर कुमार पिता प्रभुदयाल वर्मा उम्र लगभग 38 वर्ष, टाटा लाइन, कोहका, सुपेला भिलाई, जिलाःदुर्ग, छत्तीसगढ़।

--- याचिकाकर्ता

बनाम

1 –छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा सचिव, शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़।

2 – संचालक संचालनालय, शिक्षा विभाग, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़।

3 – जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़।

4 – जिला शिक्षा अधिकारी बेमेतरा, जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़।

––– उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3490/2023

1 – हम्मनलाल पिता श्री बिशे लाल उम्र लगभग 39 वर्ष, उप–जिला कुरुद, जिला धमतरी छत्तीसगढ़।

––– याचिकाकर्ता

बनाम

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

1. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा सचिव, शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़।

2 – संचालक संचालनालय, शिक्षा विभाग, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़।

3 – जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़।

4 – जिला शिक्षा अधिकारी नारायणपुर, जिला नारायणपुर, छत्तीसगढ़।

––– उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3480/2023

1 – ओम प्रकाश साहू पिता श्री राम नरेश साहू उम्र लगभग 34 वर्ष, निवासी वार्ड क्र. 17, शांति नगर, जामदैध, जिला:सूरजपुर, छत्तीसगढ़।

––– याचिकाकर्ता

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा सचिव, शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़।

2 – संचालक संचालनालय, शिक्षा विभाग, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़।

3 – जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़।

--- उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3487/2023

1. तुकेश्वर कुमार पिता श्री मीतराम उम्र लगभग 26 वर्ष, वार्ड सं. 1 पुरानी बस्ती करियातार, बलौदा बाजार छत्तीसगढ़, जिला बलौदाबाजार–भाटपारा छत्तीसगढ़।

--- याचिकाकर्ता

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा सचिव, शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़।

2 – संचालक संचालनालय, शिक्षा विभाग, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़।

3 – जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़।

4 – जिला शिक्षा अधिकारी, जांजगीर–चांपा, जिला–जांजगीर–चांपा, छत्तीसगढ़।

---- उत्तरवादीगण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3481/2023

1 – ज्योति पटेल, पिता शोविंद चंद्र पटेल, निवासी कटैनगर, बांकी मोगरा, जिला–कोरबा छत्तीसगढ़।

--- याचिकाकर्ता

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा सचिव, शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़।

2 – संचालक संचालनालय, शिक्षा विभाग, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़।

3 – जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़।

4 – जिला शिक्षा अधिकारी, बस्तर, जिला–बस्तर छत्तीसगढ़।

--- उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3504/2023

1 – प्रीति गबेल पिता सुरेश गबेल उम्र लगभग 27 वर्ष, वार्ड नं. 06, बड़े पदारमुडा, जिला जांजगीर–चांपा छत्तीसगढ़।

––– याचिकाकर्ता

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा सचिव, शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़।

2 – संचालक संचालनालय, शिक्षा विभाग, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़।

3 – जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़।

––– उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3676/2023

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1 – विद्या सिंह पिता ईश्वरी लाल, उम्र लगभग 31 वर्ष, निवास 144 वार्ड क्र. 06 भाटापारा काशीगढ़, जिला–जांजगीर–चांपा छत्तीसगढ़।

––– याचिकाकर्ता

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा सचिव, शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़।

2 – संचालक संचालनालय, शिक्षा विभाग, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़।

3 – जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़।

4 – जिला शिक्षा अधिकारी, बस्तर, जिला बस्तर छत्तीसगढ़।

––– उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3491/2023

1 – दीपक दास मानिकपुरी पिता श्री गरीब दास मानिकपुरी उम्र लगभग 36 वर्ष, निवास 165 मां कर्मा नगर वार्ड क्र. 02 कवर्धा, जिला–कबीरधाम छत्तीसगढ़।

––– याचिकाकर्ता

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा सचिव, शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़।

2 – संचालक संचालनालय, शिक्षा विभाग, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़।

3 – जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़।

4 – जिला शिक्षा अधिकारी, बस्तर, जिला बस्तर छत्तीसगढ़।

––– उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3496/2023

1 – योगेश्वर पिता भूपेन्द्र उम्र लगभग 32 वर्ष, निवासी 184, वार्ड क्रमांक 11, बाजार चौक, सेमरा धमतरी, जिला धमतरी छत्तीसगढ़।

––– याचिकाकर्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा सचिव, शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़।

2 – संचालक संचालनालय, शिक्षा विभाग, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़।

3 – जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़।

––– उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3486/2023

1 – प्रमोद कुमार साहू पिता बिसाहु राम साहू उम्र लगभग 33 वर्ष, पेंड्रिकला बलदेवपुर, जिला राजनंदगांव छत्तीसगढ़।

––– याचिकाकर्ता

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा सचिव, शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़।

2 – संचालक संचालनालय, शिक्षा विभाग, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़।

3 – जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़।

4– जिला शिक्षा अधिकारी बस्तर, जिला बस्तर छत्तीसगढ़।

––– उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3479/2023

1 – विष्णु कुमार कश्यप पिता अमरनाथ कश्यप उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी वार्ड क्र. 10, नरवा पारा, नेगुरडीह, जिला–जांज–गीर–चांपा छत्तीसगढ़।

––– याचिकाकर्ता

बनाम

1 – छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा सचिव, शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2 – संचालक संचालनालय, शिक्षा विभाग, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़।

3 – जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़।

4 – जिला शिक्षा अधिकारी, नारायणपुर, जिला–नारायणपुर, छत्तीसगढ़।

––––– उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3494/2023

1 – शशिकला साहू पति श्री सत्येंद्र कुमार साहू उम्र लगभग 36 वर्ष, निवास स्थान मकान नं. ओडी 12, वार्ड नं. 19, सी.एस.ई.बी. कॉलोनी पूर्व कोरबा, जिला कोरबा छत्तीसगढ़।

––– याचिकाकर्ता

बनाम

1 – छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा सचिव, शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़।

2 – संचालक संचालनालय, शिक्षा विभाग, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़।

3 – जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़।

4 – जिला शिक्षा अधिकारी बालौदाबाजार, जिला बालौदाबाजार ,छत्तीसगढ़।

----- उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3478/2023

1 – नरेंद्र कुमार चौधरी पिता श्री प्राणबंधु उम्र लगभग 34 वर्ष, निवासी मकान क्रमांक 14 बिजन, लोहारसिंघ जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़।

--- याचिकाकर्ता

बनाम

1 – छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा सचिव, शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़।

2 – संचालक संचालनालय, शिक्षा विभाग, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़।

3 – जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़।

4 – जिला शिक्षा अधिकारी नारायणपुर, जिला नारायणपुर छत्तीसगढ़।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

--- उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3485/2023

1 – घनश्याम पिता चंद्रिका प्रसाद उम्र लगभग 34 वर्ष, बिचबस्ती, रायबर, चिखलिया रायगढ़, जिलाःरायगढ़, छत्तीसगढ़।

--- याचिकाकर्ता

बनाम

1 – छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा सचिव, शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़।

2 – संचालक संचालनालय, शिक्षा विभाग, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़।

3 – जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़।

4 – जिला शिक्षा अधिकारी नारायणपुर, जिला नारायणपुर छत्तीसगढ़।

--- उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3483/2023

1 – विनोद कुमार कश्यप पुत्र संत राम कश्यप की आयु लगभग 32 वर्ष 131 टिकरा प्रा, सिंघुल, कंसद, जिला जांजगीर–चांपा छत्तीसगढ़ है।

––– याचिकाकर्ता

बनाम

1 – छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा सचिव, शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़।

2 – संचालक संचालनालय, शिक्षा विभाग, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़।

3 – जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़।

4 –जिला शिक्षा अधिकारी बीजापुर, जिला बीजापुर छत्तीसगढ़।

––– उत्तरवादीगण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3509/2023

1 – राम किशन पिता श्री सुकुल राम उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 10, बोड़ा पारा, जिला बलौदा बाजार, छत्तीसगढ़।

––– याचिकाकर्ता

बनाम

1 – छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा सचिव, शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़।

2 – संचालक संचालनालय, शिक्षा विभाग, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़।

3 – जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़।

4 –जिला शिक्षा अधिकारी, सुकमा जिला सुकमा, छत्तीसगढ़।

––– उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3493/2023

1 – ठाकुर राम साहू पिता मनोहर लाल साहू, आयु लगभग 36 वर्ष, निवासी धौनराभाठा वार्ड सं. 08, गदाडीह, जिलाःधमतरी, छत्तीसगढ़।

––– याचिकाकर्ता

बनाम

1 – छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा सचिव, शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़।

2 – संचालक संचालनालय, शिक्षा विभाग, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़।

3 – जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़।

––– उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3489/2023

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1 – दीपिका चंद्रवंशी पुत्र श्री रमेश कुमार की आयु लगभग 31 वर्ष है वार्ड क्रमांक 05 चिरपानी कॉलोनी कवर्धा, जिलाःकवर्धा (कबीरधाम), छत्तीसगढ़

––– याचिकाकर्ता

बनाम

1 – छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा सचिव, शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़।

2 – संचालक संचालनालय, शिक्षा विभाग, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़।

3 – जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़।

4 – जिला शिक्षा अधिकारी बस्तर, जिलाःबस्तर (जगदलपुर), छत्तीसगढ़।

––– उत्तरवादीगण

(वाद शीर्षक वाद सूचना प्रणाली से लिया गया है)

याचिकाकर्ता हेतु : श्री सी. जे. के. राव, अधिवक्ता।

राज्य हेतु : श्री अजीत सिंह, सरकारी अधिवक्ता।

माननीय न्यायमूर्ति श्री अमितेंद्र किशोर प्रसाद

बोर्ड पर आदेश

20.02.2025

1. रिट याचिकाओं के इस संवर्ग में समान विवाद्यक सम्मिलित हैं, इसलिए, उन्हें तय करने के लिए एक साथ जोड़ा जा रहा है, एक साथ सुना जा रहा है और इस सामान्य आदेश द्वारा विनिश्चय किया जा रहा है।

2. याचिकाकर्ता इस न्यायालय से यह अनुरोध कर रहे हैं कि यद्यपि उनका चयन सहायक अध्यापक (विज्ञान) के पद के लिए किया गया था तथा उन्हें वर्ष 2022 में ही अनंतिम आवंटन पत्र भी जारी कर दिया गया था, तथापि, आज तक उन्हें नियुक्ति के लिए काउंसलिंग के लिए नहीं बुलाया गया है। उक्त पद के लिए कई अन्य अभ्यर्थियों का चयन किया गया था तथा बार–बार काउंसलिंग की गई है तथा संभवतः यह काउंसलिंग का 7 वां चरण होगा। ऐसे में, याचिकाकर्ता उत्तरवादी अधिकारियों को उन्हें काउंसलिंग के 7 वें चरण के लिए बुलाने तथा उनकी नियुक्ति के संबंध में उचित आदेश पारित करने का निर्देश देने की मांग कर रहे हैं। छठे चरण की काउंसलिंग के बाद भी जब सभी पदों पर नियुक्ति नहीं हो सकी तो उत्तरवादी अधिकारियों ने याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति देने के लिए अगली काउंसलिंग के लिए बुलाने के बजाय काउंसलिंग की कार्यवाही बंद कर दी और उसके बाद रिक्त पदों को, जो भरे नहीं गए थे, अगली भर्ती प्रक्रिया के लिए आगे बढ़ा दिया गया जिसके लिए उत्तरवादी अधिकारियों द्वारा दिनांक 4.05.2023 को विज्ञापन जारी किया गया जो अपने आप में अवैध है और सहायक अध्यापक के पद की भर्ती के लिए जारी किया गया उक्त विज्ञापन निरस्त किये जाने योग्य है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

3. सभी रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं द्वारा लगभग एक जैसा अनुतोष का दावा किया गया है। संक्षिप्तता के लिए, डब्ल्यूपीएस क्रमांक 3474/2023 (प्रेम लाल साहू बनाम छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य) में याचिकाकर्ताओं द्वारा मांगी गई अनुतोषों को ध्यान में रखा गया है, जो नीचे उद्धृत हैं:–

> "10.1. यह माननीय न्यायालय सहायक अध्यापक के पद के लिए जारी दिनांक 04.05.2023 (अनुलग्नक पी–7) के विज्ञापन को निरस्त करने की कृपा करे।
>
> 10.2. यह माननीय न्यायालय कृपया उत्तरवादी क्रमांक 2 को निर्देश देने की कृपा करे कि वह याचिकाकर्ता को सहायक अध्यापक (विज्ञान) के पद पर नियुक्ति के लिए विचार करे तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 01.05.2023 के आदेश के अनुपालन में नियुक्ति आदेश जारी करे।

10.3 यह माननीय न्यायालय कृपया उत्तरवादियों को निर्देश देने की कृपा करे कि वह माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 01.05.2023 के आदेश के अनुपालन में चयन सूची की वैधता बढ़ाए।

10.4. यह माननीय न्यायालय कृपया कोई अन्य अनुतोष प्रदान करने की कृपा करे जैसा वह उचित और उपयुक्त समझे।

10.5. याचिका का व्यय दिया जाये।"

4. याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रकरण के अनुसार उत्तरवादी क्रमांक 2 संचालक, शिक्षा विभाग द्वारा सहायक अध्यापक की नियुक्ति के लिए दिनांक 09.03.2019 को विज्ञापन जारी किया गया था तथा तदनुसार, योग्यता के आधार पर, सभी याचिकाकर्ताओं को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था। उनके दस्तावेजों का सत्यापन भी किया गया था, फिर भी याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति नहीं दी जा रही थी। तत्पश्चात, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) संशोधन अधिनियम 2011 और संशोधित नियम, 2012 को निरस्त करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष डब्ल्यूपीसी क्रमांक 591/2012 और अन्य संबंधित प्रकरणों वाली एक रिट याचिका दायर की गई, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एसएलपी (सी) क्रमांक 19668/2022 में चुनौती दी गई, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 01.05.2023 को एक आदेश पारित किया है, जिसमें उत्तरवादी अधिकारियों को चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने और नियुक्तियाँ और पदोन्नति करने का निर्देश दिया गया है, हालाँकि, यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत एसएलपी के अंतिम परिणाम के अधीन होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 01.05.2023 को पारित उपरोक्त आदेश के आधार पर राज्य सरकार द्वारा दिनांक 03.05.2023 को अधिसूचना जारी की गई तथा नियुक्ति की प्रक्रिया पुनः प्रारंभ की गई। दिनांक 01.05.2023 के आदेश में चयन प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए चयन सूची की वैधता को भी बढ़ाया गया। याचिकाकर्ताओं का यह प्रकरण था कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एसएलपी लंबित होने के कारण उत्तरवादी प्राधिकारियों ने उन्हें नियुक्त नहीं किया है, हालांकि दिनांक 01.05.2023 के आदेश के तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया था कि उत्तरवादी प्राधिकारी संबंधित व्यक्तियों के चयन एवं नियुक्ति की प्रक्रिया जारी रख सकते हैं, हालांकि नियुक्तियां एसएलपी के अंतिम निर्णय के अधीन थीं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित स्पष्ट आदेश के बावजूद, उत्तरवादी अधिकारी चयन के बाद भी नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ताओं के प्रकरण पर विचार नहीं कर रहे हैं और इस तरह वे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विपरीत जा रहे हैं।

5. इसके बाद, उत्तरवादी अधिकारियों ने सहायक अध्यापक की नियुक्ति के लिए दिनांक 04.05.2023 को एक नया विज्ञापन जारी किया है, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को ध्यान में रखते हुए अवैध है और उत्तरवादी अधिकारियों द्वारा किए गए कृत्य फिर भी, शक्ति का दोषपूर्ण प्रयोग हैं,

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

ऐसे में, सहायक अध्यापक की भर्ती के लिए दिनांक 04.05.2023 को जारी विज्ञापन को अन्य बातों के साथ–साथ इस प्रार्थना के साथ रद्द किया जाना आवश्यक है कि याचिकाकर्ताओं को उनके संबंधित विषयों के लिए सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए विचार किया जाए क्योंकि उन्हें नियुक्ति के लिए चुना गया था, हालांकि, उत्तरवादी अधिकारियों की ओर से निष्क्रियता के कारण उन्हें नियुक्त नहीं किया जा सका।

6. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि जब याचिकाकर्ताओं का चयन किया गया था और उनके दस्तावेजों का सत्यापन किया गया था, तो याचिकाकर्ताओं को उत्तरवादी प्राधिकारियों द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए था, हालांकि, उनके चयन के बाद भी उनके संबंधित विषयों पर याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति करने के बावजूद, उत्तरवादी प्राधिकारियों ने दिनांक 04.05.2023 को एक नया विज्ञापन जारी किया है, जो कि अवैध है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 01.05.2023 के आदेश के विपरीत है और इसे रद्द करने की आवश्यकता है। आगे यह तर्क दिया गया है कि दिनांक 09.03.2019 को पहले विज्ञापित पद समाप्त नहीं हुए थे और याचिकाकर्ताओं को आगे की काउंसलिंग के लिए बुलाने के बजाय, उत्तरवादियों ने इन पदों को आगे बढ़ाने का विकल्प चुना है, जो नहीं किया जा सकता है, ऐसे में, उत्तरवादी अधिकारियों को याचिकाकर्ताओं को नए सिरे से 7 वीं काउंसलिंग के लिए बुलाने और उनके संबंधित विषयों में सहायक शिक्षक के पद पर उनकी नियुक्ति के संबंध में उचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया जाना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. दूसरी ओर, विद्वान राज्य अधिवक्ता ने याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्क का पुरजोर विरोध किया तथा तर्क प्रस्तुत किया कि अपने जवाब में उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि याचिकाकर्ताओं का चयन नहीं किया जा सका तथा उन्हें काउंसलिंग के लिए नहीं बुलाया जा सका, क्योंकि वे विभिन्न विषयों में सहायक अध्यापकों के पद पर चयन के लिए निर्धारित कट–ऑफ अंकों को प्राप्त नहीं कर सके। केवल उन याचिकाकर्ताओं के लिए, जो योग्य नहीं हो सके, बार–बार काउंसलिंग नहीं की जा सकती। कहा गया है कि काउंसलिंग के छठे चरण के बाद भी याचिकाकर्ता योग्य नहीं हो सके, क्योंकि वे उत्तरवादी प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित कट–ऑफ अंक प्राप्त करने में सफल नहीं हो सके, इसलिए उनका चयन नहीं किया जा सका। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया है कि चयन से याचिकाकर्ताओं को संबंधित पदों पर नियुक्ति का अधिकार नहीं मिलेगा, जब तक कि वे काउंसलिंग में निर्धारित कट–ऑफ अंकों को प्राप्त नहीं कर लेते। जब पद खाली पड़े थे और अभ्यर्थी उत्तरवादी अधिकारियों द्वारा निर्धारित कट–ऑफ अंकों को पूरा नहीं कर सके, तो अधिकारियों ने विधिवत विज्ञापन दिया और उसे आगे बढ़ाया। इस तरह, याचिकाकर्ता काउंसलिंग के माध्यम से अपनी नियुक्ति के लिए प्रकरण बनाने में सक्षम नहीं थे, जिसे समाप्त कर दिया गया है और इसे बार–बार नहीं खोला जा सकता है। अंत में यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता उनके द्वारा मांगी गई अनुतोष के लिए प्रकरण बनाने में बुरी तरह विफल रहे हैं, इस तरह, सभी रिट याचिकाएं सिरे में खारिज होने योग्य हैं।

8. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है तथा सभी रिट याचिकाओं के साथ संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया है।

9. याचिकाओं के रूप में प्रस्तुत दस्तावेजों तथा प्रत्युत्तर के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ताओं ने अपने–अपने विषय में सहायक अध्यापक के पद के लिए आवेदन किया था। उनकी अपेक्षित योग्यता तथा उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर उन्हें काउंसलिंग के लिए चुना गया था, तथापि काउंसलिंग में वे उत्तरवादी प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित कट–ऑफ अंक प्राप्त नहीं कर सके। कट–ऑफ अंकों को समय–समय पर संशोधित किया गया, तथापि इसके स्थान पर याचिकाकर्ताओं को काउंसलिंग के छठे चरण तक उनके संबंधित विषय में सहायक अध्यापक की नियुक्ति के लिए समायोजित नहीं किया जा सका। दस्तावेजों तथा दिनांक 04.05.2023 के विज्ञापन के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि जब पदों की पूर्ति नहीं हो सकी तथा वे लगभग तीन वर्षों से अधिक समय से रिक्त पड़े थे, तो उन्हें आगे बढ़ा दिया गया। इस समय, संबंधित अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए निर्णयों पर विचार करना उचित होगा।

10. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **तेज प्रकाश पाठक एवं अन्य बनाम राजस्थान उच्च न्यायालय एवं अन्य** (2025) 2 **एससीसी** 1 के प्रकरण में पारित निर्णय का अवलंब लिया है, जिसमें पैरा 25, 64, 64.1, 65.2 एवं 65.6 में निम्नलिखित निर्णय दिए गए हैं:–

> "25. भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को विधिसम्मत प्रत्याशा होती है कि चयन की प्रक्रिया निष्पक्ष और मनमानी रहित होगी। सार्वजनिक विधि में विधिसम्मत प्रत्याशा के सिद्धांत का आधार व्यक्तियों के साथ सरकारी व्यवहार में निष्पक्षता और मनमानी रहितता के सिद्धांतों पर आधारित है। यह मानता है कि एक सार्वजनिक प्राधिकरण का वादा या पिछला आचरण एक विधिसम्मत प्रत्याशा को जन्म देगा। यह सिद्धांत इस धारणा पर आधारित है कि सार्वजनिक अधिकारियों को अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का पालन करते समय अपने वादों या पिछले व्यवहारों का सम्मान करना चाहिए। किसी प्रत्याशा की वैधता का अनुमान तभी लगाया जा सकता है जब वह विधि, प्रथा या स्थापित प्रक्रिया में निहित हो।
>
> 64. इस प्रकार, शंकरसन दाश के निर्णय के प्रकाश में, चयन सूची में रखे गए अभ्यर्थी को रिक्तियां उपलब्ध होने पर भी नियुक्त होने का कोई अपरिवर्तनीय अधिकार नहीं मिलता है। इसी तरह का दृष्टिकोण इस न्यायालय ने सुभाष चंद्र मारवाह के प्रकरण में लिया था, जहां 15 रिक्तियों के विरुद्ध चयन सूची से केवल शीर्ष 7 को ही नियुक्त किया गया था। लेकिन इसमें एक चेतावनी है। राज्य या उसका तंत्र मनमाने ढंग से किसी चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति देने से इनकार नहीं कर सकता। इसलिए, जब किसी चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति देने से इनकार करने के संबंध में राज्य की कार्यवाही को चुनौती दी जाती है, तो चयन सूची से नियुक्ति न करने के अपने निर्णय को उचित ठहराने का भार राज्य पर होता है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

65.1.भर्ती प्रक्रिया आवेदन आमंत्रित करने वाले विज्ञापन जारी होने से शुरू होती है और रिक्तियों को भरने के साथ समाप्त होती है;

65.2.भर्ती प्रक्रिया के प्रारंभ में अधिसूचित चयन सूची में रखे जाने के लिए पात्रता मानदंड को भर्ती प्रक्रिया के बीच में तब तक नहीं बदला जा सकता जब तक कि विद्यमान नियम इसकी अनुमति न दें, या विज्ञापन, जो विद्यमान नियमों के विपरीत न हो, इसकी अनुमति न दे।

भले ही मौजूदा नियमों या विज्ञापन के तहत ऐसा बदलाव स्वीकार्य हो, लेकिन बदलाव के लिए संविधान के अनुच्छेद 14 की आवश्यकता को पूरा करना होगा और गैर–मनमानापन की कसौटी पर खरा उतरना होगा;

65.6. चयन सूची में स्थान दिए जाने से नियुक्ति का कोई अव्यवहारिक अधिकार नहीं मिलता। राज्य या उसके साधन अच्छे कारणों से रिक्तियों को न भरने का विकल्प चुन सकते हैं। हालांकि, अगर रिक्तियां उपलब्ध हैं, तो राज्य या उसके साधन चयन सूची में विचार के दायरे में आने वाले किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से नियुक्ति देने से इनकार नहीं कर सकते।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. **विद्वान राज्य अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मोहम्मद राशिद बनाम निदेशक, स्थानीय निकाय, नया सचिवालय एवं अन्य (2020) 2 एससीसी 582** के प्रकरणों में पारित निर्णयों का भी अवलंब लिया है, जिसमें पैरा 13 और 14 में यह अभिनिर्धारित किया गया है, जो इस प्रकार है:–

"13. सीधी भर्ती के अपीलकर्ताओं जो अभ्यर्थी है को नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं है, केवल इसलिए कि एक समय पर रिक्तियों का विज्ञापन किया गया था। अपीलकर्ताओं जैसे अभ्यर्थी केवल इस कारण नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं मांग सकते कि उन्होंने दिनांक 12–9–2013 को प्रकाशित विज्ञापन का जवाब दिया। चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी, मेरिट सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों को केवल इस कारण नियुक्ति मांगने का कोई निहित अधिकार नहीं है कि उनका नाम मेरिट सूची में है। शंकरसन दाश बनाम भारत संघ में, इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने माना कि किसी सिविल पद पर नियुक्ति चाहने वाले अभ्यर्थी को केवल इस कारण से ऐसे पद पर नियुक्ति का अविभाज्य अधिकार प्राप्त नहीं माना जा सकता कि उसका नाम मेरिट सूची में है। इस न्यायालय ने निम्नानुसार माना: (एससीसी पृ. 50–51, पैरा 7)

'7. यह कहना सही नहीं है कि यदि नियुक्ति के लिए कई रिक्तियां अधिसूचित की जाती हैं और पर्याप्त क्रमांक में अभ्यर्थी योग्य पाए जाते हैं, तो सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति का

एक अव्यवहारिक अधिकार प्राप्त होता है जिसे वैध रूप से अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। आम तौर पर अधिसूचना केवल योग्य अभ्यर्थियों को भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए एक आमंत्रण के बराबर होती है और उनके चयन पर उन्हें पद पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। जब तक सुसंगत भर्ती नियम ऐसा संकेत नहीं देते हैं, राज्य सभी या किसी भी रिक्तियों को भरने के लिए विधिक रूप से बाध्य नहीं है। हालांकि, इसका तात्पर्य यह नहीं है कि राज्य को मनमाने ढंग से कार्य करने की छूट है। रिक्तियों को न भरने का निर्णय उचित कारणों से सद्भावपूर्वक लिया जाना चाहिए। और यदि रिक्तियां या उनमें से कोई भी भरी जाती है, तो राज्य अभ्यर्थियों की तुलनात्मक योग्यता का आकलन करने के लिए बाध्य है, जैसा कि भर्ती परीक्षा में परिलक्षित होता है। और किसी भी भेदभाव की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इस न्यायालय द्वारा लगातार इस सही स्थिति का पालन किया गया है, और हमें हरियाणा राज्य बनाम सुभाष चंद्र मारवाहा: नीलिमा शांगला बनाम हरियाणा राज्य या जतिंदर कुमार बनाम पंजाब राज्य के निर्णयों में कोई असंगत टिप्पणी नहीं मिली है।

14. चूंकि चयन प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है और वैधानिक नियमों के अधिदेश को ध्यान में रखते हुए, हम पाते हैं कि अपीलकर्ताओं को नगर निकायों द्वारा पदों को पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरने की कार्यवाही पर विवाद करने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि ऐसे पद नियमों के अधिदेश के अनुसार भरे जा रहे हैं। नगर निकायों के लिए रिक्त पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरना हमेशा खुला रहता है, जब पदोन्नति और/या प्रतिनियुक्ति कोटे के माध्यम से पदों को पहले से शुरू की गई भर्ती प्रक्रिया या नए सिरे से शुरू की जाने वाली भर्ती प्रक्रिया के आधार पर नहीं भरा जाता है।""

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. विद्वान राज्य अधिवक्ता ने **पुलिस आयुक्त एवं एक अन्य बनाम उमेश कुमार के प्रकरण (2020) 10 एससीसी 448** में दर्ज प्रकरण पर भी भरोसा जताया है, जिसमें पैरा 19, 20, 23 के अनुसार निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया है:–

"19. हालांकि, वास्तविक विवाद्यक यह है कि क्या उत्तरवादी परमादेश रिट के हकदार थे। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि उनके पास नियुक्ति का निहित अधिकार है या नहीं। स्पष्ट रूप से इसका उत्तर नकारात्मक होना चाहिए। पंजाब एसईबी बनाम मलकियत सिंह में, इस न्यायालय ने माना कि अभ्यर्थियों को चयन सूची में सम्मिलित करने मात्र से उन्हें नियुक्ति का निहित अधिकार नहीं मिल जाता। न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया: (एससीसी पृष्ठ 26, पैरा 4)

"4.... उच्च न्यायालय ने इस आधार पर कार्यवाही करने में त्रुटि की कि उत्तरवादी को नियुक्ति का निहित अधिकार प्राप्त था और बाद में किए गए परिवर्तन से उसे नहीं छीना जा सकता था। यह स्थापित विधि है कि चयन सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित होने मात्र से ऐसे अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश प्राप्त करने का कोई निहित अधिकार नहीं मिल जाता। शंकरसन दाश बनाम भारत संघ 10 में इस न्यायालय के संविधान पीठ के निर्णय के पैरा 7 में यह स्थिति स्पष्ट की गई है, जिसमें लिखा है: (एससीसी पृष्ठ 50–51)

7. यह कहना सही नहीं है कि यदि नियुक्ति के लिए कई रिक्तियों को अधिसूचित किया जाता है और पर्याप्त क्रमांक में अभ्यर्थी योग्य पाए जाते हैं, तो सफल अभ्यर्थियों को नियुक्त होने का एक अक्षम्य अधिकार प्राप्त होता है जिसे वैध रूप से अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। अन्यथा अधिसूचना केवल योग्य अभ्यर्थियों को भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए आमंत्रित करती है और उनके चयन पर उन्हें पद का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। जब तक कि संबंधित भर्ती नियम इस तरह से इंगित नहीं करते हैं, राज्य सभी या किसी भी रिक्तियों को भरने के लिए किसी भी कानूनी कर्तव्य के अधीन नहीं है।चाहे जो भी हो, इसका यह तात्पर्य नहीं है कि राज्य के पास मनमाने तरीके से काम करने का लाइसेंस है। रिक्तियों को नहीं भरने का निर्णय उचित कारणों से ईमानदारी से लिया जाना चाहिए और यदि रिक्तियों या उनमें से किसी को भरा जाता है, तो राज्य अभ्यर्थियों की तुलनात्मक योग्यता का आकलन करने के लिए बाध्य है, जैसा कि भर्ती परीक्षा में परिलक्षित होता है, और किसी भी भेदभाव की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इस न्यायालय द्वारा इस सही स्थिति का लगातार पालन किया गया है, और हमें हरियाणा राज्य बनाम सुभाष चंदर मारवाह, नीलिमा शांगला बनाम में निर्णयों में कोई विसंगत टिप्पणी नहीं मिलती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. वर्तमान प्रकरण में, दिनांक 17–7–2015 को घोषित परिणामों में प्रतिवादियों का नाम आने के बाद, भर्ती की प्रक्रिया स्थगित कर दी गई थी क्योंकि परिणामों को न्यायाधिकरण के समक्ष चुनौती दी गई थी। भर्ती के दौरान परिणामों को संशोधित करने की प्रक्रिया विधि के अनुसार इसे संरेखित करने के लिए आवश्यक थी। न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही शुरू होने के बाद विशेष रूप से एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई थी। विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट ने उत्तर–कुंजी में त्रुटियां स्थापित कीं और उसके बाद रिपोर्ट का मूल्यांकन करने के बाद दिनांक 1–2–2016 को परिणामों को संशोधित करने का सचेत निर्णय लिया गया। जो नई सूची तैयार की गई थी, उसमें दोनों उत्तरवादी ओबीसी श्रेणी के लिए कट–ऑफ को पूरा करने में विफल रहे हैं, जिससे वे संबंधित हैं। जैसा कि विद्वान एएसजी ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, 228 अभ्यर्थी योग्यता के आधार पर उमेश कुमार से ऊपर हैं जबकि 265 अभ्यर्थी सत्येंद्र सिंह से ऊपर हैं। श्री खुर्शीद का यह कहना कि न्यायालय के समक्ष केवल ये दो अभ्यर्थी हैं, उन्हें विधि

के विपरीत निर्देश देने का अधिकार नहीं देता क्योंकि उन्हें नियुक्ति का कोई निहित अधिकार नहीं है।

23. उपरोक्त कारणों से, हमारा मानना है कि दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 6–12–2018 को उमेश कुमार बनाम राज्य और दिनांक 19–12–2018 को सत्येंद्र सिंह बनाम राज्य में दिए गए निर्णय विधि के अनुरूप नहीं हैं। उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ताओं को दिल्ली पुलिस में आरक्षक (कार्यकारी) के पद पर उत्तरवादियों की नियुक्ति के लिए परमादेश जारी करने में स्पष्ट रूप से श्रुटि की है। यह निर्देश स्पष्ट रूप से विधि के विपरीत था। उत्तरवादियों ने चयन प्रक्रिया में भाग लिया है और संशोधित परिणाम की घोषणा पर, न्यायालय के समक्ष यह सामने आया है कि वे ओबीसी श्रेणी के लिए कट–ऑफ से अधिक अंक प्राप्त करने में विफल रहे हैं, जिससे वे संबंधित हैं।"

13. अब वर्तमान रिट याचिकाओं पर वापस आते हुए, जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों के आलोक में उनकी जांच की जाती है, तो यह स्पष्ट है कि सहायक अध्यापक के पद पर चयन के बाद भी, चयन प्रक्रिया में सफल रहे और जिनके दस्तावेजों का सत्यापन किया गया, याचिकाकर्ताओं को नियुक्त होने का कोई निहित अधिकार नहीं मिला। बेशक, याचिकाकर्ता, जो सहायक अध्यापक के पद पर भर्ती के लिए इच्छुक हैं, सहायक अध्यापक के पद के लिए कट–ऑफ अंकों से अधिक अंक प्राप्त करने में विफल रहे हैं, इसलिए, यह दर्ज नहीं किया जा सकता है कि उन्होंने केवल इस आधार पर उक्त पदों पर नियुक्त होने का एक अविभाज्य अधिकार प्राप्त कर लिया है कि उनका नाम चयनित मेरिट सूची में है। उत्तरवादी अधिकारियों ने चयन प्रक्रिया में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया क्योंकि काउंसलिंग के 6 राउंड हुए, हालांकि, काउंसलिंग के 6 वें राउंड में भी याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति नहीं हो सकी, क्योंकि वे उत्तरवादी अधिकारियों द्वारा निर्धारित कट–ऑफ अंक को पार नहीं कर सके। याचिकाकर्ताओं द्वारा उद्धृत निर्णय इस पहलू के लिए भी सुसंगत है कि जिस व्यक्ति को चयन सूची में रखा जाता है, उसे रिक्तियां उपलब्ध होने पर भी नियुक्त होने का कोई अपरिवर्तनीय अधिकार नहीं मिलता है। शर्त यह होगी कि राज्य या उसके साधन किसी भी चयनित अभ्यर्थी को मनमाने ढंग से नियुक्ति से इनकार नहीं कर सकते। हालांकि, वर्तमान प्रकरणों में, याचिकाकर्ताओं को सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्त न करने का एक उचित कारण है क्योंकि याचिकाकर्ता उत्तरवादी अधिकारियों द्वारा निर्धारित कट–ऑफ अंकों को पूरा नहीं कर सके और इस प्रकरण के मद्देनजर, भले ही पद रिक्त हों, याचिकाकर्ता केवल अपने चयन के आधार पर नियुक्ति का दावा नहीं कर सकते। चयन नियुक्ति से बिल्कुल अलग प्रक्रिया है।

14. जहां तक दिनांक 04.05.2023 के नए विज्ञापन को रद्द करने का प्रश्न है, जब 6 वें चरण की काउंसलिंग के बाद भी पदों को भरा नहीं जा सका, तो उत्तरवादी अधिकारियों के पास रिक्त पदों को नए विज्ञापन के लिए आगे बढ़ाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था, जिसे अनुचित नहीं कहा जा सकता।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

उत्तरवादी अधिकारियों/राज्य ने सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए दिनांक 04.05.2023 को नया विज्ञापन जारी करके सही किया है, जबकि पिछली भर्ती प्रक्रिया में रिक्त सीटों को आगे बढ़ाया गया है, जिसमें इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता।

15. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने असाधारण क्षेत्राधिकार के तहत हस्तक्षेप के प्रयोग से संबंधित मुद्दे पर विचार करते हुए मेसर्स साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड एवं अन्य बनाम नवीन मैथ्यू फिलिप एवं एक अन्य इत्यादि के प्रकरण में [2023] लाइवलॉ (एससी) 320 में यह निर्णय दिया है, जो इस प्रकार है:–

> "18. ऐसा करते समय, हम इस तथ्य से अवगत हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत प्रदत्त शक्तियाँ काफी व्यापक हैं, लेकिन इनका प्रयोग केवल असाधारण परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए, जैसे कि कार्यवाही और न्यायिक योजना से संबंधित प्रकरण, खासकर ऋणदाता और ऋणी से जुड़े वाणिज्यिक मामलों में, जब विधानमंडल ने उचित निवारण के लिए एक विशिष्ट तंत्र प्रदान किया हो।"

16. प्रकरण के उपरोक्त सभी पहलुओं पर गौर करते हुए, यह न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण रिट क्षेत्राधिकार में उत्तरवादी अधिकारियों/राज्य के कार्यों में हस्तक्षेप करने के लिए वर्तमान प्रकरणों को उपयुक्त नहीं मानता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. तदनुसार, वर्तमान याचिकाएं, सारहीन होने के कारण, खारिज किए जाने योग्य हैं। व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

सही/–

(अमितेंद्र किशोर प्रसाद)

न्यायाधीश

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**